पंजीकृत संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जुलाई, 2013 ई0 (आषाढ़ 22, 1935 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

(नये एलटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी)

विनियम, 2013

29 जनवरी, 2013 ई0

संख्या एफ–9 (12)/आरजी/यूईआरसी/2013/1460– विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 45 3(बी) और धारा 46 के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं:

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व लागू होना**

    (1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नये एल टी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2013 होगा।

    (2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे। तथापि, वे आवेदक, जिन्होंने आवश्यक प्रभार, इन नये विनियमों के अधिसूचित होने से पहले जमा कर दिये हैं, पुराने विनियम, यथा उ.वि.नि.आ. (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2007 में अधीन शामिल होंगे।

[1] *यह विनियम* दिनांक 09.02.2013 के सरकारी गजट में प्रकाशित *अंग्रेजी विनियम* का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(3) ये विनियम संम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

(4) ये विनियम केवल 75kW/88kVA/100BHP तक के भार वाले एल टी संयोजनों पर लागू होंगे और इनमें नये संयोजन प्रदान करना तथा पहले स्वीकृत भारों में वृद्धि या कमी करना सम्मिलित होगा।

(5) इन विनियमों के प्रवृत्त होने के साथ उ.वि.नि.आ. (नये एल.टी. संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2007 निरसित हो जायेंगे।

2. परिभाषाऐं–

इन विनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(1) "विकासकर्ता/निर्माता" से ऐसा व्यक्ति या कम्पनी या संगठन या प्राधिकारी, अभिप्रेत है जो आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की जिम्मेदारी लेता है;

(2) "लो टैंशन (एल.टी.)" से विद्युत नियमों के अधीन अनुज्ञेय प्रतिशत परिवर्तन की शर्त पर समान्य परिस्थितियों में फेज़ और न्यूट्रल के मध्य 230 वोल्ट्स की वोल्टेज तथा किन्हीं दो फ़ेजों के मध्य 400 वोल्ट्स की वोल्टेज अभिप्रेत है;

(3) "बकाया देयों" से विच्छेदन के समय पर उक्त परिक्षेत्र पर सभी देय तथा देर से संदाय अधिभार, जो विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 (2) के अधीन हों, अभिप्रेत हैं;

(4) "नियमों" से भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 या भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 53 के अधीन संरचित है उनके परवर्ती नियम अभिप्रेत हैं;

(5) इन विनियमों में प्रयुक्त सभी शब्दों व अभिव्यक्तियों जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं की गई है, का वही अर्थ होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं।

3. संयोजन प्रदान करने हेतु शर्तें

(1) अनुज्ञापी, अपनी वेबसाईट तथा अपने सभी कार्यालयों में उन स्थानों, जहां उनकी ओर से नये संयोजन के लिए आवेदन स्वीकार किये जाते हैं, नये संयोजन प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत प्रकिया तथा ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ण सूची, प्रमुखता से दर्शायेगा। सामान्य तौर पर ऐसा कोई दस्तावेज जो सूची में नहीं है, नहीं मांगा जायेगा। इस विनियम के नियम 5(10) में दी गई 1 से 4 सारिणियों के अनुरूप, आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली प्रारम्भिक प्रतिभूति राशि, सर्विस लाईन प्रभारों की लागत, नॉरमेटिव ओवर हैड लाईन प्रभार और ट्रांसफार्मर की नॉरमेटिव लागत भी प्रमुखता से दर्शायी जायेगी।

(2) जहां आवेदक ने ऐसी वर्तमान संपत्ति क्रय की है जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है तो यह आवेदक का कर्तव्य होगा कि वह यह सत्यापित करे कि पूर्व स्वामी ने अनुज्ञापी को सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया है तथा उससे "अदेयता, प्रमाण पत्र" प्राप्त कर लिया है। यदि संम्पत्ति क्रय करने से पहले पूर्व स्वामी द्वारा ऐसा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है तो नया स्वामी, ऐसे प्रमाण पत्र हेतु अनुज्ञापी के संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकता है। अनुज्ञापी ऐसे निवेदन की प्राप्ति स्वीकार करेगा तथा या तो वह सम्पत्ति पर बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है, लिखित में सूचित करेगा या ऐसे आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर "अदेयता" प्रमाण पत्र जारी करेगा। यदि अनुज्ञापी इस समय के भीतर बकाया देय धनराशि की सूचना नहीं देता है या "अदेयता प्रमाण पत्र" जारी नहीं करता तो पूर्व स्वामी को बकाया देय धनराशि के आधार पर, परिक्षेत्र में नये संयोजन को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे परिस्थिति में अनुज्ञापी को विधि के उपबन्धों के अधीन, पूर्व उपभोक्ता से देय धनराशि वसूल करनी होगी।

(3) जहां कोई सम्पत्ति विधिसंगत रूप से उप–विभाजित की गई है तो पूर्व अविभाजित सम्पत्ति पर विद्युत के उपभोग हेतु बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है, तो वह ऐसी उपविभाजित सम्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर यथानुपातिक रूप से विभाजित की जायेगी।

ऐसे उप–विभाजित परिक्षेत्र के किसी भाग हेतु नवीन संयोजन विधिसंगत रूप में विभाजित ऐसे परिक्षेत्र पर लागू बकाया देय धनराशि का भाग, आवेदक द्वारा अदा कर दिये जाने के पश्चात ही दिया जायेगा। एक अनुज्ञापी, केवल इस आधार पर कि ऐसे परिक्षेत्र के अन्य भाग(गों) की देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, किसी आवेदक को संयोजन हेतु इनकार नहीं करेगा, ना ही अनुज्ञापी, ऐसे आवेदकों से अन्य भाग(गों) के पिछले भुगतान किये गये बिलों का रिकार्ड मांगेगा।

(4) सम्पूर्ण परिक्षेत्र या भवन के गिराये जाने व पुनर्निर्माण के मामले में वर्तमान संस्थापन वापस सौंप दिया जायेगा तथा अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा। मीटर तथा सेवा लाईन को हटा दिया जायेगा तथा पुराने परिक्षेत्र पर सभी देय धनराशियों के भुगतान के पश्चात, पुनर्निमित भवन हेतु एक नवीन संयोजन लिया जायेगा। ऐसे मामलों में निर्माण के उद्देश्य हेतु, वर्तमान संयोजन में से अस्थायी विद्युत सेवा की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(5) एक नये उपभोक्ता को संयोजन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन व परिचालन) विनियम, 2006 के उपबन्धों के अनुसार केवल सही विद्युत मीटर के साथ ही प्रदान किया जायेगा तथा उक्त विनियम में निर्धारित किये अनुसार ही इसकी संस्थापना की जायेगी।

(6) 4 kW तक के भार हेतु आवेदन के मामले में

(a) <u>यदि परिक्षेत्र अनुज्ञापी के वर्तमान 3 फेज़ एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक दूरी पर है:</u>

अनुज्ञापी, केवल 3 फेज़ वायर एल.टी. वितरण मेन निर्मित करने हेतु वर्तमान एल.टी. वितरण मेन को विस्तारित करेगा तथा आवेदक को स्थिर सेवा लाईन प्रभारों के अतिरिक्त, ऐसा संयोजन जारी करने के लिये आवश्यक लाईन की लम्बाई पर निर्भर करते हुए, विनियम 5(10) की सारिणी 1 के अनुसार एल.टी. वितरण मेन में मानकीय प्रभारों का भी भुगतान करना होगा, सिवाय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10000 से कम आबादी वाले उन ग्रामीण पर्वतीय गांवों के, जहां अनुज्ञापी इन गांवों में ऐसा संयोजन प्रदान करने के लिये सिंगल फेज़ एल.टी. वितरण मेन निर्मित कर पूर्वोक्त 3 फेज़ एल.टी. वितरण मेन विस्तारित कर सकता है।

(b) <u>यदि परिक्षेत्र अनुज्ञापी के वर्तमान सिंगल फेज़ या दू फेज़ एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक की दूरी पर है:</u>

वर्तमान एल.टी. वितरण मेन का विस्तार, अनुज्ञापी द्वारा सिंगल फेज़ या 2 फेज़ एल. टी. वितरण मेन निर्मित किया जायेगा तथा आवेदक को स्थिर सेवा लाईन प्रभारों के अतिरिक्त, ऐसा संजोजन जारी करने के लिये आवश्यक लाईन की लम्बाई पर निर्भर करते हुए, विनियम 5(10) की सारिणी 1 अनुसार एल.टी. वितरण मेन के मानकीय प्रभारों का भी भुगतान करना होगा।

(7) 4 kW से अधिक और 25 kW तक के भार हेतु आवेदन के मामले में:

(a) यदि वर्तमान एल.टी. वितरण मेन सिंगल फेज़ या 2 फेज़ का है तो अनुज्ञापी, ऐसा संजोजन जारी किये जाने के लिये स्वयं की लागत पर 3 फेज़ 5 वायर एल.टी. वितरण मेन द्वारा ऐसे एल.टी. वितरण मेन का आवश्यक परिवर्तन करवायेगा

(b) यदि परिक्षेत्र, अनुज्ञापी के वर्तमान 3 फेज़ एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक दूरी पर है तो अनुज्ञापी, 3 फेज़ 5 वायर एल.टी. वितरण मेन निर्मित कर विस्तारण करेगा तथा आवेदक को स्थिर सेवा लाईन प्रभारों के अतिरिक्त, ऐसा संयोजन जारी करने के लिये आवश्यक लाईन की लम्बाई पर निर्भर करते हुए विनियम 5(10) की सारिणी 2 के अनुसार मानकीय प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(8) 25 kW से अधिक भार हेतु आवेदन के मामले में, संयोजन केवल HVDS के माध्यम से जारी किया जायेगा तथा आवेदक को विनियम 5(10) की सारिणी 3 के अनुसार मानकीय प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(9) PTW संयोजन के मामले में, यदि PTW संयोजन जारी करने के लिये वितरण ट्रांसफार्मर के संस्थापन सहित एल.टी. वितरण मेन्स और/या एच.टी. मेन का विस्तार आवश्यक है तो आवेदक को स्थिर सेवा लाईन प्रभारों के अतिरिक्त ऐसा संयोजन जारी किये जाने के लिये आवश्यक लाईन की लम्बाई पर निर्भर करते हुए विनियम 5(10) की सारिणी 4 के अनुसार, ऐसे कार्यों के मानकीय प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(10) एल.टी. के अन्तर्गत एकल थोक आपूर्ति संयोजन जारी नहीं किया जायेगा।

4. **नये संयोजन हेतु आवेदन**

एक नये संयोजन हेतु आवेदन, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जायेगा तथा इसके पश्चात नीचे दिये गये अनुसार अनुज्ञापी द्वारा कार्यवाही होगी।

(1) एक नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने का इच्छुक भावी उपभोक्ता, अनुज्ञापी को इस हेतु आवेदन, परिशिष्ट–1 में दिये गये निर्धारित आवेदन प्रपत्र में करेगा।

(2) निर्धारित आवेदन प्रपत्र, अनुज्ञापी के उपखण्ड कार्यालय या अनुज्ञापी के किसी अन्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या अनुज्ञापी की विभागीय वैबसाईट www.upcl.org से डाऊनलोड किये जा सकते हैं या फोटो कापी भी किये जा सकते हैं। विधिवत भरे गये प्रपत्र, अनुज्ञापी के संबंधित समीपस्थ उपखण्ड/खण्ड कार्यालय में जमा किये जा सकते है।

(3) आवेदन प्रपत्र के साथ जमा किये जाने के लिये आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैः–

[a] स्वामित्व या अधिकार (ऑक्यूपेन्सी) का प्रमाण पत्र

जिस परिक्षेत्र पर संयोजन अपेक्षित है उसके स्वामित्व या अधिकार के प्रमाण स्वरूप, आवेदक, निम्नलिखित में से कोई एक दस्वावेज जमा करेगा।

(i) विकय लेख या पट्टा लेख की प्रति या खसरा या खतौनी की प्रति (इस प्रयोजन हेतु खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम सम्मिलित होना पर्याप्त होगा) या

(ii) रजिस्ट्रीकृत सामान्य मुख्त्यारनामा या

(iii) नगर पालिका कर रसीद या मांग सूचना या कोई अन्य संबंधित दस्वातेज या

(iv) आवंटन पत्र

(v) एक आवेदक जो परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है किन्तु परिक्षेत्र पर उसका कब्जा है, उपरोक्त सं0 (i) से (iv) में दिये दस्वावेजों में से किसी एक दस्वावेज के साथ, परिक्षेत्र के स्वामी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जमा करेगा।

परन्तु यदि आवेदक उपरोक्त (i) से (iv) में दिये गये दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज जमा करने में असमर्थ हो तो आवेदक पर विनियम 5(10) में दी गई सारिणी 1 से 4 के अनुसार प्रतिभूति की तीन गुना (बीपीएल उपभोक्ताओं को छोड़कर) राशि प्रभारित की जायेगी। यदि परिक्षेत्र का स्वामी आवेदक से भिन्न है तो वह ऐसे संयोजन के लिये किन्हीं देय राशियों के भुगतान का जिम्मेदार नहीं होगा।

[b] पहचान प्रमाण पत्र

- यदि आवेदक एक अकेला व्यक्ति है तो पहचान पत्र के प्रमाण स्वरूप, निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करानी होगी–
  (i) निर्वाचन पहचान कार्ड या
  (ii) पासपोर्ट, या
  (iii) ड्राइविंग लाइसेन्स, या
  (iv) फोटो राशन कार्ड, या
  (v) सरकारी एजेन्सी द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड, या ग्राम प्रधान या ग्राम स्तर के सरकारी कार्यकर्ता जैसे पटवारी/लेखपाल/प्राथमिक विद्यालय अध्यापक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी इत्यादि का प्रमाण पत्र।
- यदि आवेदक कोई कम्पनी, न्यास, विद्यालय/महाविद्यालय, सरकारी विभाग इत्यादि है तो संबंधित संस्था के प्रासंगिक प्रस्ताव/प्राधिकारी पत्र के साथ आवेदन पर शाखा प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियन्ता जैसे सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर भी अपेक्षित होंगे।

[c] वचनबंध

परिशिष्ट 1.1 में दिये गये प्रारूप में यह प्रमाणित करते हुए एक वचनबंध कि परिक्षेत्र में वायरिंग व अन्य विद्युत कार्य, लागू अधिनियम/नियमों व विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया है।

(4) आवेदक से विधिवत भरा प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात, अनुज्ञापी का प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्रपत्र की जांच करेगा और यदि आवेदन में कोई कमियां पाई जायें तो उन्हें आवेदक से तुरन्त सुधार कराया जायेगा।

(5) नये संयोजन हेतु किसी भी आवेदक को अनुज्ञापी द्वारा "तकनीकी रूप से साध्य नहीं" जैसे कारणों या किसी सामग्री की बाध्यता के कारण वापस नहीं लौटाया जायेगा।

5. अनुज्ञापी द्वारा आवेदनपत्र की प्रोसेसिंग

(1) आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी, आवेदन प्रपत्र तथा प्राप्ति स्वीकृति प्रपत्र, दोनों पर यूनिक आवेदन संख्या डालकर आवेदन को रजिस्टर करेगा और तत्पश्चात् आवेदक को दिनांक अंकित कर उसकी प्राप्ति स्वीकृति जारी करेगा।

(2) जैसा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के नियम 47 के अधीन अपेक्षित है, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, अनुज्ञापी आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण व परीक्षण करेगा। संस्थापन का परीक्षण भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 48 में दी गयी प्रकिया के अनुसार किया जायेगा तथा निरीक्षक अधिकारी, जैसा कि उससे भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त परीक्षण के परिणामों का रिकार्ड परिशिष्ट 1.2 में दिये गये

प्रपत्र में रखेगा। अनुज्ञापी, विनियमानुसार वितरण मेन अर्थात ओवर हैड लाईन के विस्तार तथा अन्य संबंधित कार्यों की आवश्यकता भी अभिनिश्चित करेगा।

यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञापी, मार्ग सर्वेक्षण संचालित करेगा तथा आदेश प्रपत्र की प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के भीतर विनियमों के अनुरुप कार्यों का आकलन तैयार करेगा।

(3) यदि अनुज्ञापी को परीक्षण पर कोई त्रुटि मिलती है जैसे कि संस्थापन का पूरा ना होना या कंडक्टर के अनावृत्त सिरों को या जोड़ों को इन्सुलेटिंग टेप से पूरी तरह ढका ना होना या वायरिंग का इस प्रकार किया जाना कि वह जीवन/सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो तो वह परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में उसी समय रसीद के साथ आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(4) यदि आवेदन पत्र में इसका उल्लेख नहीं है तो अनुज्ञापी, सम्पत्ति के समीप भूमि चिन्ह के साथ तथा जहां से सेवा संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है वहां से खम्भे की संख्या सहित परिक्षेत्र का सही तथा पूरा पता भी रिकार्ड करेगा, यह सूचना भविष्य में मीटर पढ़ने तथा बिलिंग के लिए आवश्यक है।

(5) आवेदक 15 दिन के भीतर सभी त्रुटियों को दूर करेगा तथा प्राप्ति स्वीकृति के अधीन अनुज्ञापी को लिखित में इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने में असफल रहता है या त्रुटियों को दूर किये जाने के संबंध में अनुज्ञापी को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन निरस्त हो जायेगा तथा आवेदक को फिर से आवेदन करना होगा।

(6) त्रुटियों को दूर किए जाने के संबंध में आवेदक से सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी ऐसी सूचना प्राप्ति के पांच दिन के भीतर संस्थापन का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा, यदि पहले बतायी गयी त्रुटियां तब भी जारी हों तो अनुज्ञापी उन्हें परिशिष्ट 1.2 में दिये गये प्रपत्र में फिर से रिकार्ड करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को देगा। आवेदन तब व्यपगत (लैप्स) हो जायेगा व प्राप्ति स्वीकृति के अधीन आवेदक को यह सूचना दे दी जायेगी। यदि आवेदक अनुज्ञापी के इस कृत्य से व्यथित हो तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है जिसका अधिमत इस संबंध में अंतिम तथा बाध्यकारक होगा।

(7) अनुज्ञापी यह भी अभिनिश्चित करेगा कि क्या परिक्षेत्र पर कोई देय धन राशि बकाया है, तथा यदि है तो अनुज्ञापी ऐसी बकाया राशि का पूर्ण विवरण देते हुए, आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति की तिथि से पांच दिन के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को यह बकाया देय धनराशि पन्द्रह दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उसका आवेदन निरस्त हो जायेगा तथा प्राप्ति की स्वीकृति के अधीन लिखित में उसको इसकी सूचना दे दी जायेगी।

(8) यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है या त्रुटियां दूर कर दी पाई जाती हैं तथा कोई देय राशि बकाया नहीं है या उसका भुगतान कर दिया गया है तो अनुज्ञापी, आवेदक (सिवाय आवासीय/गैर आवासीय भवनों, मल्टीलैक्स, मॉल्स इत्यादि के, जहां भार इन विनियमों के परिशिष्ट 3 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार अवधारित किया जायेगा) द्वारा आवेदन किये अनुसार भार स्वीकृत करेगा तथा उसकी सूचना, आवेदन प्रपत्र प्राप्ति से पांच दिन के भीतर लिखित में आवेदक को देगा।

(9) यदि आवेदन की तिथि से 5 दिन के भीतर आवेदक को कोई त्रुटि नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है तो भार, इसमें ऊपर दिये उप–विनियम के अनुसार स्वीकृत कर लिया समझा जायेगा तथा अनुज्ञापी इन आधारों पर संयोजन प्रदान करने से इनकार नहीं करेगा।

(10) भार स्वीकृत किये जाने से 5 दिन के भीतर, अनुज्ञापी नीचे सारिणी में दिये गये निर्धारित प्रभारों के आधार पर कार्यों का आकलंन सूचित करेगा तथा आवेदक पूर्वोक्त प्रभार नकद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करेगा–

सारणी–1: 4 kW तक के भार के लिये सेवा लाईन प्रभार, ओवर हैड लाईन प्रभार और प्रारंभिक प्रतिभूति

कम सख्या	संविदाकृत भार	सेवा लाईन प्रभार एवं ओवर हैड लाईन प्रभार			प्रारंभिक प्रतिभूति (रू0/kW)		
		सेवा लाईन प्रभार (रु0)		ओवर हैड लाईन प्रभार यदि परिक्षेत्र अनुज्ञापी से वर्तमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक दूरी पर है	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक
		ऊपरी	भूमि के नीचे				
1	बी.पी.एल. उपभोक्ता	100	–	300	100	–	–
2	4 kW तक	600	1200	रु0 1000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	400	1000	1000

सारणी–2: 4 kW से अधिक और 25 kW तक के भार हेतु सेवा लाईन प्रभार, ओवर हैड लाईन प्रभार और प्रारंभिक प्रतिभूति

कम सख्या	संविदाकृत भार	सेवा लाईन प्रभार एवं ओवर हैड लाईन प्रभार			प्रारंभिक प्रतिभूति (रू0/kW)		
		सेवा लाईन प्रभार (रु0)		ओवर हैड लाईन प्रभार यदि परिक्षेत्र अनुज्ञापी से वर्तमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक दूरी पर है	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक
		ऊपरी	भूमि के नीचे				
1	4 kW से अधिक और 10 kW तक	1500	3000	रु0 3000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	400	1000	1000
2	10 kW से अधिक और 25 kW तक	2500	5000				

9

सारणी–3: 25 kW से अधिक और 75 kW तक के भार हेतु सेवा लाईन प्रभार, ओवर हैड लाईन 11 kV लाईन/सब–स्टेशन के निर्माण/ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि हेतु प्रभार और प्रारम्भिक प्रतिभूति (एल.टी./एच.टी. वितरण मेन से उपभोक्ता के परिक्षेत्र की दूरी का विचार किये बिना)							
क्रम सख्या	संविदाकृत भार	सेवा लाईन प्रभार, ओवर हैड 11 kV लाईन/सब–स्टेशन के निर्माण, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि हेतु प्रभार			प्रारंभिक प्रतिभूति (रू0/ kW)		
		सेवा लाईन प्रभार (रु0)		ओवर हैड 11 kV लाईन /सब–स्टेशन के निर्माण/ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि हेतु प्रभार (रु0)	घरेलू	अघरेलू	औद्योगिक
		ऊपरी	भूमि के नीचे				
1	11 kV लाईन लागत						
	25 kW से अधिक और 50 kW तक	4000	8000	रु0 3000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	400	1000	1000
	50 kW से अधिक और 75 kW तक	5000	10000				
2	11 kV सब–स्टेशन लागत						
	25 kW से अधिक और 50 kW तक	63 के.वी.ए सब–स्टेशन का निर्माण		125000	—		
	50 kW से अधिक और 75 kW तक	100 के.वी.ए सब–स्टेशन का निर्माण		175000			
3	ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि						
	65 kVA से 100 kVA	—		50000	—		

सारणी–4 : 5 BHP से अधिक और 20 BHP तक के भार वाले निजी नलकूपों (PTW)के लिये सेवा लाईन प्रभार, ओवर हैड लाईन प्रभार तथा प्रारम्भिक प्रतिभूति				
क्रम सख्या	संविदाकृत भार	सेवा लाईन प्रभार (रु0)	वितरण ट्रांसफार्मर के संस्थापन सहित वर्तमान एल.टी. वितरण मेन्स और/या एच.टी. मेन के विस्तार हेतु प्रभार (रु0)	प्रारंभिक प्रतिभूति (रू0/HP)
1.	5 BHP से 20 BHP	600	रु0 500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	100

(11) आवेदक, उसको ऐसी आपूर्ति दिये जाने के लिये वास्तव में विस्तारित एल.टी./एच.टी. वितरण मेन्स की लम्बाई के, उपरोक्त सारिणियों के अनुसार लागू, ओवर हैड लाईन हेतु प्रभारों का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा।

उदाहरण : वर्तमान वितरण मेन के विस्तार की लम्बाई की गणना

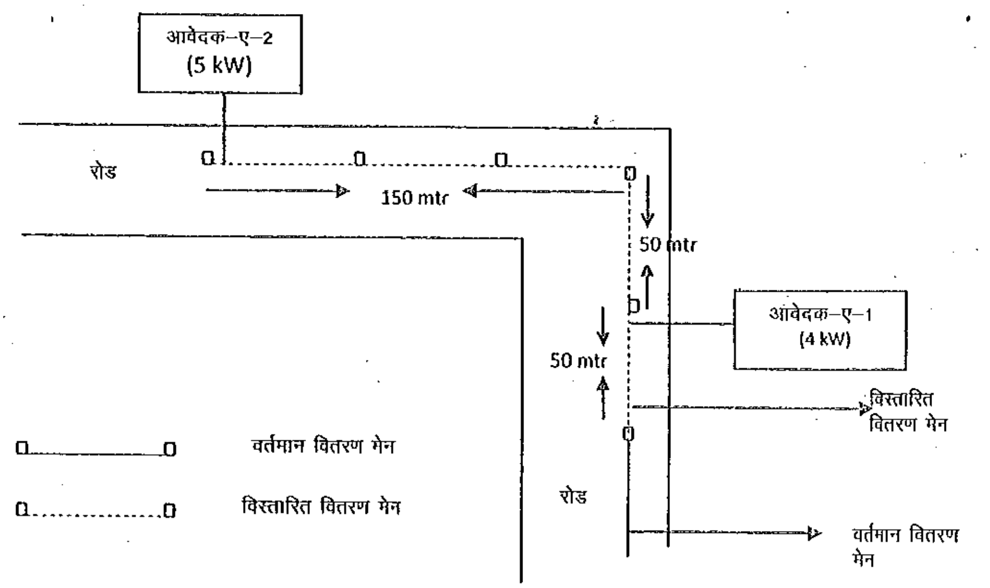

आवेदक ए–1 के लिये

1. *संयोजन प्रदान करने के लिये वितरण मेन्स के विस्तार की लम्बाई = 50 मीटर*
2. *आवेदक द्वारा देय ओवर हैड लाईन प्रभार = रू0 (50/10)* 1000 = रू0 5000*

आवेदक ए–2 के लिये

1. *संयोजन प्रदान करने के लिये वितरण मेन्स से विस्तार की लम्बाई = 200 मीटर*
2. *आवेदक द्वारा देय ओवर हैड लाईन प्रभार = रू0 (200/10)* 3000 = रू0 60000*

(12) अनुज्ञापी, निम्नलिखित से 30 दिन के भीतर एक सही मीटर के माध्यम से संयोजन को कियाशील करने के लिए दायित्वाधीन होगा।

(a) लागू किये जाने की तिथि, यदि कोई त्रुटि या बकाया नहीं पाया जाता है।

(b) त्रुटियों के दूर किये जाने या बकाया देयों के परिनिर्धारण की तिथि या लागू होने की तिथि जो भी बाद में हो।

स्पष्टीकरण–इस विनियम के प्रयोजन से "आवेदक" से आवश्यक भुगतान व अन्य अनुपालन दर्शाते हुए दस्तावेजों के साथ सभी रुप से उपयुक्त प्रपत्र में पूर्ण आवेदन अभिप्रेत है।

(13) यदि ऐसा नया संयोजन अपेक्षित है जिसमें अनुज्ञापी के लिये अपने वितरण मेन्स का विस्तार या एक नये सब–स्टेशन का प्रवर्तन आवश्यक है तो अनुज्ञापी ऐसे आवेदक को ऐसी आपूर्ति हेतु लगने वाले समय की सूचना देगा तथा इसे निम्नलिखित से अधिक विस्तारित नहीं होना चाहिये।

(c) 60 दिन, यदि केवल वितरण मेन्स का विस्तार अपेक्षित है।

(d) 90 दिन,यदि नये सब–स्टेशन का प्रवर्तन भी अपेक्षित है।

(e) 180 दिन, यदि नये 33/11 kV सब–स्टेशन का प्रवर्तन अपेक्षित है।

(14) यदि अनुज्ञापी, उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी आवेदक को संयोजन प्रदान करने में असफल रहता है तो वह आवेदक द्वारा जमा करायी गयी राशि पर रू0 10 प्रति रू0 1000 (या उसका एक भाग) जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा, जो व्यतिक्रम में प्रतिदिन हेतु अधिकमतम रू0 1000 तक होगा।

(15) अनुज्ञापी, मासिक रूप से खण्ड वार (डिवीजन वाइज) रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें उन संयोजनों की संख्या का विवरण उल्लेखित होगा जिन्हें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कियाशील नहीं किया गया है तथा ऐसे व्यतिक्रम के कारण एकत्रित जुर्माना भी जमा करायेगा।

(16) यदि विनियमों के अनुरुप उसका संयोजन क्रियाशील नहीं होता है तो आवेदक, आवेदन की तिथि, अनुज्ञापी द्वारा निरीक्षण की तिथि इत्यादि का पूर्ण विवरण देते हुए सम्बन्धित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष इस संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

6. उपरोक्त सारिणी 1 से 4 में निर्धारित प्रभारों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रभार जैसे मीटर की लागत, विविध सामग्री की लागत, अतिरिक्त केबल, प्रक्रमण शुल्क इत्यादि, नये संयोजन में आवेदक द्वारा देय नहीं होगे।

7. **विकासकर्ता/भवननिर्माता द्वारा निर्मित किये जाने वाले आवासीय/गैर आवासीय कॉम्पलैक्स, मल्टीप्लैक्स, मॉल्स इत्यादि में नये विद्युत संयोजन।**

(1) ऐसे कॉम्पलैक्स के भीतर प्रत्येक उपभोक्ता के संस्थापन में संयोजन तक, संस्थापित वितरण ट्रांसफार्मर से ऐसे कॉम्पलैक्स के भीतर अपेक्षित वितरण नेटवर्क की संरचना की जिम्मेदारी उस विकासकर्ता/भवन निर्माता की होगी जिसने उस कॉम्पलैक्स का निर्माण किया है।

(2) परिशिष्ट–3 में दिये विवरण के अनुसार गणना किये जाने वाले मानकीय भार के आधार पर, संस्थापित किये जाने वाले वितरण ट्रांसफार्मर या यथा स्थिति, 33/11 kV ट्रांसफार्मर और वितरण ट्रांसफार्मर दोनों की क्षमता अनुज्ञापी द्वारा अवधारित की जायेगी। यथास्थिति, 33/11 kV ट्रांसफार्मर/वितरण ट्रांसफार्मर और संबंद्व संरक्षण गियर की लागत संबंधित विकासकर्ता/निर्माता द्वारा वहन की जायेगी। ट्रांसफार्मर संस्थापना तक यथास्थिति, 11 kV या 33 kV लाईन के विस्तार की लागत का भुगतान

भी विकासकर्ता/निर्माता द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु लागत का आकलन वितरण अनुज्ञापी द्वारा किया जायेगा तथा ऐसी लागत, कार्य पूर्ण होने पर अतिरिक्त वसूली/प्रतिदाय के अधीन विकासकर्ता/निर्माता द्वारा देय होगी।

विकासकर्ता/निर्माता के पास आकलित सामग्री लागत, मजदूरी लागत, जिसमें स्थापना लागत सम्मिलित नहीं है, पर उद्ग्रहीत किये जाने वाले 15 प्रतिशत की दर से अनुज्ञापी को पर्यवेक्षण प्रभार का भुगतान कर, अनुज्ञापी के विनिर्देशों के अनुसार, एक अनुज्ञप्त संविदा भार के माध्यम से स्वयं संबंध उपकरणों के साथ, अपेक्षित अवसंरचना, अर्थात ऊर्जा/वितरण ट्रांसफार्मर सब–स्टेशन और एल.टी./एच.टी. लाईनों की संरचना करने का विकल्प होगा।

(3) नये संयोजन की मांग के समय, ऐसे कॉम्पलैक्स के एकल आवेदक को अनुप्रयोज्यता के आधार पर ऊपर विनियम 5(10) में दी गई सारिणी के अनुसार केवल सेवा लाईन प्रभारों और प्रारम्भिक प्रतिभूति का भुगतान करना होगा।

(4) ऊर्जा/वितरण ट्रांसफार्मर की संस्थापना के लिये भूमि, वितरण अनुज्ञापी को विकासकर्ता/निर्माता द्वारा निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

8. स्वीकृत भार में वृद्धि/कमी के लिये प्रक्रिया

(1) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष में केवल एक बार किसी समय भी अपने संविदाकृत भार में कमी करने की अनुमति होगी, जबकि भार वृद्धि में कोई पाबन्दी लागू नहीं होगी।

(2) इसके लिये उपभोक्ता, नवीनतम बिल के भुगतान के प्रमाण के साथ, अनुज्ञापी के उपखण्ड कार्यालय में निःशुल्क व परिशिष्ट–2 में दिये गये प्रपत्र में आवेदन करेगा। प्रपत्र को अनुज्ञापी की वेबसाईट से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

(3) अनुज्ञापी, आवेदन प्रपत्र और पावती प्रपत्र, दोनों पर अनन्य (युनीक) आवेदन संख्या डालकर आवेदन रजिस्टर करेगा। तत्पश्चात् आवेदक को प्राप्ति की रसीद हेतु एक लिखित और दिनांकित पावती दी जायेगी।

(4) भार में वृद्धि चाहने वाला उपभोक्ता, कुल वृद्धि किये गये भार पर लागू प्रारम्भिक प्रतिभूति का भुगतान करेगा तथा यदि स्थित सेवा लाईन/ओवर हैड लाईन/मीटर इत्यादि में भी परिवर्तन की आवश्यकता है तो उपभोक्ता को अनुप्रयोज्यता पर निर्भर करते हुए ऊपर विनियम 5(10) की सारिणी 1 से 4 के अनुसार प्रभारों का भुगतान करना होगा। ऐसे प्रभार, हटाये गये उपकरण की अवक्षयित लागत द्वारा कम कर दिये जायेगे यदि लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की गई है और ये अनुज्ञापी द्वारा पुनः उपयोग योग्य है तथा वर्तमान भार हेतु पहले से भुगतान की गई प्रतिभूति राशि का उचित समायोजन किया जायेगा।

(5) यदि उपभोक्ता द्वारा मांगे गये भार में कमी में वर्तमान ट्रांसफार्मर/मीटर इत्यादि में परिवर्तन संलग्न है तो उपभोक्ता, अनुप्रयोज्यता पर निर्भर करते हुए ऊपर विनियम 5(10) की सारिणी 1 से 4 के अनुसार अनुज्ञापी को प्रभारों का भुगतान करेगा। ऐसे प्रभार, ऊपर अनुसार हटाये गये उपकरण की अवक्षयित लागत द्वारा कम कर दिये जायेंगे, यदि लागत का वहन उपभोक्ता द्वारा किया गया है और वे अनुज्ञापी द्वारा पुनः उपयोग योग्य है तथा कम किये गये भार के लिये आवश्यक प्रारम्भिक प्रतिभूति जमा और पहले से जमा प्रतिभति के अन्तर का समायोजन अगली दो बिलिंग चक्र के भीतर किया जायेगा।

(6) भार में कमी के निवेदन पर विचार करते समय अनुज्ञापी पहले उक्त उपभोक्ता के वास्तविक उपभोग का विवरण सत्यापित करेगा। यदि वास्तविक उपभोग के प्रतिरुप से यह इंगित होता है कि पूर्व में वास्तव में उपयोग किया गया भार, मांगे जाने वाले भार से अधिक है तो मांग की गई कमी की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा। उदाहरण :–

उन संस्थापनों के लिए जहाँ MDI के साथ इलैक्ट्रोनिक मीटर संस्थापित किए गए है।

भार श्रेणी	*औद्योगिक*
स्वीकृत भार	*50 kVA*
भार में आवेदित कमी	*35 kVA*
पिछले 12 माह में अधिकतम माँग	*40 kVA*

क्योंकि MDI द्वारा इंगित किये अनुसार पिछले 12 माह में अधिकतम माँग भार में आवेदित कमी से अधिक थी अतः भार में कमी का आवेदन माना नहीं जाएगा।

उन स्थानों के लिए जहाँ मीटर MDI के साथ लगाए गए हैं–

भार की श्रेणी	*घरेलू*
स्वीकृत भार	*7 kW*
आवेदित भार में कमी	*4 kW*
विगत 12 माह के दौरान अधिकतम उपभोग	*600 kWh*
*घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत प्रासमिक (Normative) उपभोग**	*100 kWh/kW*
टैरिफ भार की गणना प्रासमिक (Normative)उपभोग पर	*600/100 = 6 kW*

**टेरिफ आदेश के अनन्तिम बिलिंग के आधार पर दर्शाये प्रासमिक (Normative)उपभोग*

(7) भार में वृद्धि/कमी की माँग करने वाले आवेदनों की प्राप्ति के पश्चात् 30 दिन के भीतर स्वीकृत भार में वृद्धि/कमी की जायेगी यदि विनिर्दिष्ट समय के भीतर भार में वृद्धि/कमी नहीं हो जाती है तो अनुज्ञापी द्वारा रु0 500 का जुर्माना देय होगा।

9. विवाद का निपटारा

(1) इन विनियमों में अभिव्यक्त या विवादित कुछ भी, अधिनियम के किसी शक्ति के प्रयोग या किसी मामले के निपटारे में आयोग को वर्जित नहीं करेगा, जिसके लिये कोई विनियम संरचित नहीं किये गये है तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों, कृत्यों से इस प्रकार निपट सकेगा जैसा वह सही व उचित समझे।

(2) यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव द्वारा या अन्यथा, आदेश द्वारा तथा ऐसे आदेश से संभावित रुप से प्रभावित होने वालों को उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात, जो इन विनियमों से असंगत न हो व कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हो, ऐसे प्रस्ताव बना सकेगा।

(3) आयोग, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर, स्वयं के प्रस्ताव से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष आवेदन करने पर इन विनियमों के किसी उपबंध में शिथिलता या परिवर्तन कर सकता है।

15

परिशिष्ट 1

नये संयोजन हेतु आवेदन प्रपत्र

आवेदक का फोटोग्राफ

केवल कार्यालय के प्रयोग के लिए			
खण्ड का नाम			
उप खण्ड का नाम			
अनन्य (यूनिक) आवेदन संख्या			
प्राप्ति तिथि			
(आवेदक द्वारा भरा जाये)			
1— आवेदक का नाम			
2— पिता/पति/पत्नी का नाम			
3— पता जिस पर आपूर्ति अपेक्षित है	मकान/प्लाट		
	स्ट्रीट		
	कालोनी /क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष (यदि कोई है)		मोबाइल (यदि कोई है)	
यदि आवेदक कोई कम्पनी अथवा संगठन या एसोशिएशन है			
4—स्थायी पता	मकान/प्लाट		
	स्ट्रीट		
	कालोनी /क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष (यदि कोई है)		मोबाइल (यदि कोई है)	
यदि आवेदक किरायेदार या कब्जाधारी है			
5—सम्पत्ति के स्वामी का पता	मकान/प्लाट		
	स्ट्रीट		
	कालोनी /क्षेत्र		
	जिला		
दूरभाष (यदि कोई है)		मोबाइल (यदि कोई है)	
6—आवेदित भार kW में)			
7— प्लाट का आकार व निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर) (केवल घरेलू व अघरेलू संयोजन हेतु)			
8— उपयोग का प्रयोजन	**जो लागू हो उस पर चिन्ह लगायें**		
	ए— घरेलू		
	बी— अघरेलू		
	सी—औद्योगिक		
	डी— निजी नलकूप (प्राईवेट ट्यूबवैल)		

9– यदि परिक्षेत्र में कोई विद्युत संयोजन विद्यमान है	हां/नहीं
यदि हां तो निम्नलिखित विवरण दें:	
11–(ए)– सेवा संयोजन संख्या	
(बी)– पुस्तक संख्या	
12–समीपस्थ भूमि चिन्ह खम्बा संख्या/फीडर पिलर संख्या/समीपस्थ मकान संख्या (अनुज्ञापी द्वारा भरा जाये)	

13–संलग्न दस्तावेजों की सूची	1	पहचान/पता प्रमाण (निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति) किसी एक पर निशान लगाएं:
		ए. निर्वाचन पहचान कार्ड बी. पासपोर्ट सी. ड्राइविंग लाइसेन्स डी. फोटो राशन कार्ड इ. सरकारी अभिकरण द्वारा जारी फोटो पहचान कार्ड एफ. ग्राम प्रधान या किसी ग्राम स्तर पर सरकारी कार्यकर्ता जैसे– पटवारी/लेखपाल/प्राथमिक विद्यालय अध्यापक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रभारी इत्यादि का प्रमाण पत्र
	2	स्वामित्व/अधिकारिता का प्रमाण (निम्नलिखित में से एक को प्रति) किसी एक पर निशान लगाऐं–
		ए– विक्रय लेख या पट्ट लेख की प्रति या खसरा खतौनी की प्रति या बी– रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा या सी– नगरपालिका कर रसीद या मांग नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज या डी– आवंटन पत्र ई– एक आवेदक जो कि परिक्षेत्र का स्वामी नहीं है, किन्तु कब्जा धारी है, उपरोक्त (ए) से (डी) में अंकित किसी दस्तावेज के साथ परिक्षेत्र के स्वामी का निराक्षेप प्रमाण भी प्रस्तुत करेगा।
	3	निर्धारित प्रारूप में आवेदक द्वारा घोषणा/वचनबंध

दिनांक

हस्ताक्षर

पावती

निम्नलिखित विवरणानुसार विद्युत हेतु नये संयोजन के लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया :

1. अनन्य (यूनिक) आवेदन संख्या..
2. आवेदक का नाम..
3. पता जहां संयोजन अपेक्षित है ....
4. आवेदित भार ....

रबर स्टैम्प

यू.पी.सी.एल प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम व पद

परिशिष्ट 1.1

घोषणा/वचन बंध

मैं, ...पुत्र श्री...निवासी ....(इसके पश्चात्) "आवेदक" संदर्भित, जिस शब्द के अभिप्राय में निष्पादन, प्रशासक उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती व समनुदेशक सम्मिलित है) एतद्द्वारा निम्नलिखित शपथ लेते हैं व घोषणा करते है।

अथवा

...., कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अधीन निगमित, जिसका कार्यालय..................................पर स्थित है (इसके पश्चात "आवेदक" सन्दर्भित, जैसा कि पद में, जब तक कि संदर्भ में या उसके अभिप्राय में विरूद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी व समनुदेशक सम्मिलित हैं) एतद्द्वारा निम्नलिखित शपथ लेते है व घोषणा करते हैं

कि आवेदक ....पर परिक्षेत्र का विधिपूर्ण कब्जाधारी है, जिसके समर्थन में आवेदक ने कब्जे का सबूत दिया है कि आवेदक ने यू.पी.सी.एल. से, आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित उद्देश्य हेतु आवेदक के नाम पर उपरोक्त उल्लेखित परिक्षेत्र में एक सेवा संयोजन प्रदान करने का निवेदन किया है।

कि घोषणा प्रस्तुत करते समय आवेदक ने यह भली भांति समझ लिया है कि यदि भविष्य में उसका यह कथन झूठा या गलत साबित होता है तो यू.पी.सी.एल. को पूरा अधिकार होगा कि वह बिना किसी सूचना के आवेदक की आपूर्ति विच्छेद कर दे तथा उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष देयों का समावेश करे।

कि आवेदक एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है व वचन देता है कि :

(1) आवेदक को दिये जाने वाले नये सेवा संयोजन के कारण यू.पी.सी.एल. को होने वाली सभी कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, हानियों, व्ययों के सापेक्ष क्षतिपूर्ति करने का।

(2) कि परिक्षेत्र के भीतर किये गये सभी विद्युत कार्य हमारी पूरी जानकारी अनुसार भारतीय विद्युत नियमावली के अनुरूप है (जहां आवेदक भवन स्वामी हो तथा भवन में नयी तारें बिछायी हो)।

या

कि परिक्षेत्र के भीतर किये गये सभी विद्युत कार्य हमारी पूरी जानकारी अनुसार भारतीय विद्युत नियमावली के अनुरूप है। (जहां आवेदन पुर्नसंयोजन के लिए है या आवेदन परिक्षेत्र का कब्जाधारी है)।

(3) इस सम्बन्ध में आवेदक को हुई किसी हानि के लिए यू.पी.सी.एल क्षतिपूरक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक सहमत है कि उसके परिक्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य में त्रुटि के कारण यदि यू.पी.सी.एल. की सम्पत्ति को कोई अपहानि/हानि होती है तो सभी दायित्व आवेदक द्वारा वहन किये जायेगें।

(4) नियमित रूप से तथा भुगतान हेतु शोध्य होने पर, समय–समय पर प्रवृत आपूर्ति हेतु विविध प्रभार, व यू.पी.सी.एल. की दर सूची में नियत दरों पर विद्युत उपयोग बिल व अन्य प्रभार के भुगतान हेतु।

(5) पूर्ववर्ती वर्ष में आवेदक के उपभोग पर आधारित समय–समय यू.पी.सी.एल. द्वारा संशोधित, अतिरिक्त उपभोग जमा को जमा करना।

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों, विद्युत आपूर्ति, संहिता, टैरिफ आदेश तथा समय–समय पर लागू उ0वि0नि0आ0 द्वारा अधिसूचित कोई अन्य नियमों या विनियमों का पालन करना।

(7) संविदाकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व या किसी संविदात्मक त्रुटि के कारण, अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, आवेदक द्वारा भुगतान की गई उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष, यूपीसीएल, विद्युत उपभोग प्रभार अन्य प्रभार के साथ समायोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(8) यू.पी.सी.एल. द्वारा उपलब्ध कराये गये मीटर, सी.टी., केबल इत्यादि को संरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उत्तरदायी होना तथा यदि आवेदक के कारण उपकरणों को कोई क्षति पहुंचती है तो आवेदक उसका प्रभार भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, मीटर इत्यादि की सील टूटने के कारण या प्रत्यक्ष/बेईमानी से विद्युत निकालने के कारण होने वाले सभी प्रतिक्रियाओं व वर्तमान विधि अनुसार आवेदक उत्तरदायी होगा।

(9) मीटर पढ़ने तथा इसकी जांच इत्यादि के उद्‌देश्य हेतु मीटर तक स्पष्ट व अविल्लंगम पहुंच प्रदान करना।

(10) कि किसी व्यतिक्रम या कानूनी उपबंध की अवहेलना पर तथा कानूनी प्राधिकार द्वारा ऐसे आदेश को लागू करने के लिए कानूनी बाध्यता होने पर आवेदक, यू.पी.सी.एल. को सेवा विच्छेदित करने देगा। यह विच्छेदन की तिथि पर अपने भुगतान पाने सहित यूपीसीएल के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(11) कि यूपीसीएल, विद्युत की आपूर्ति में अवरोध या ह्रास हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

(12) आवेदक द्वारा की गई उपरोक्त सभी घोषणाऐं, यू.पी.सी.एल. व आवेदक के मध्य एक करार मानी जायेंगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
आवेदक का नाम

हस्ताक्षर व प्राप्ति
साक्षी की उपस्थिति में
साक्षी का नाम

परिशिष्ट 1.2

परीक्षण परिणाम रिपोर्ट

(भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 47 व 48 का संदर्भ लें)

(अनुज्ञापी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाये)

इन्स्युलेशन रेजिस्टेन्स का परिणाम (फेज कन्डक्टर व अर्थ के मध्य एक मिनट के लिए 500 वोल्ट का दवाव देकर नापने पर)

फेज–1 व अर्थ फेज–2 व अर्थ फेज–3 व अर्थ

1. फेज व अर्थ के मध्य

सावधानी: जब कोई उपभोक्ता उपकरण जैसे कि पंखे, ट्यूब्स, बल्ब इत्यादि सर्किट में हों तो फेज व न्युट्रल के मध्य या फेजों के मध्य इन्सुलेशन रेजिसटेन्स को नहीं नापा जायेगा क्योंकि ऐसे परीक्षण के परिणाम उपकरण की रेजिस्टेन्स को दर्शायेंगें न कि संस्थापन की इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स।

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम 33 के अधीन अपेक्षित अर्थ टर्मिनल यूपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा यह टर्मिनल यूपीसीएल के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है।

आपके विद्युत संस्थापन में निम्नलिखित कमियां पायी गयी है, आपसे निवेदन है कि उन्हें दिनांक ....से पन्द्रह दिन के भीतर दूर कर दें तथा यूपीसीएल को सूचित करें ऐसा न करने पर, नये संयोजन हेतु आपका निवेदन निरस्त हो जायेगा।

1–...

2–...

3–...

4–...

दिनांक

अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम व पता

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

परिक्षेत्र का परीक्षण अनुज्ञापी द्वारा मेरी उपस्थिति में किया गया तथा

*मैं परीक्षण से सन्तुष्ट हूँ

*मैं परीक्षण से सन्तुष्ट नहीं हूँ और अपील विद्युत निरीक्षक के समक्ष दायर कर सकता हूँ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यू.पी.सी.एल. ने परिक्षेत्र में, भारतीय विद्युत नियमावली 1965 के नियम 33 के अनुरूप एक अर्थ टर्मिनल उपलब्ध कराया है/नहीं कराया है तथा यह अर्थ टर्मिनल यूपीसीएल के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है/नहीं किया गया है।

दिनांक .... आवेदक के हस्ताक्षर

* जो लागू न हो उसे काटें

परिशिष्ट 2

भार वृद्धि/कमी हेतु आवेदन

आवेदक का फोटोग्राफ

अनन्य (यूनिक) आवेदन संख्या			
आवेदन दिनांक			
भार वृद्धि		भार में कमी	
वर्तमान स्वीकृत भार		वर्तमान स्वीकृत भार	
भार में निवेदित वृद्धि		भार में आवेदित कमी	
1	उपभोक्ता संख्या		
1 ए	पुस्तक संख्या		
2	उपभोक्ता का नाम		
3	पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की है	मकान/प्लाट	
		स्ट्रीट	
		कालोनी /क्षेत्र	
		जिला	
दूरभाष नं.–		मोबाइल नं.–	

दिनांक .... आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 3

विकासकर्ता/निर्माता द्वारा निर्माण किये जाने वाले आवासीय/गैर आवासीय कॉम्पलैक्स, मल्टीप्लैक्स, मॉल इत्यादि में नये विद्युत संयोजन के मामले में संविदाकृत भार में अवधारण की प्रक्रिया

	भार
(i) आवासीय उपयोग	
प्रत्येक 400 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिये	
a. नगर निगम क्षेत्र में	1KW
b. नगर पालिका क्षेत्र में	0.75KW
c. नगर पंचायत/ग्राम पंचायत क्षेत्र में	0.50KW
(ii) गैर आवासीय उपयोग	
a. प्रत्येक 200 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग के लिये	1KW
b. शेड़/गोदाम/स्कूल के लिये 1000 वर्ग फुट या उसका भाग	1KW

नोट : लिफ्ट, वाटर पंप, स्ट्रीट लाईट जैसी आम सुविधाओं का भार विकासकर्ता/निर्माता द्वारा घोषित किया गया मांना जायेगा।

आयोग की आज्ञा से,

नीरज सत्ती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 28 हिन्दी गजट/430—भाग 1—क—2013 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।